न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 1/2022

आरसीएमएस 2022/1

अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

1. मानाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. चतरूराम पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. लेखराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मेवाराम पुत्र श्री राम संजीवन जाति पटेल निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति खाती निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. इमानत अली पुत्र पठान खां जाति मुसलमान निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. सहीराम पुत्र बालूराम जाति भाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. लियाकत अली पुत्र पठान खां जाति मुसलमान निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सेठी पुत्र बालूराम जाति भाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. भूराराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

1. विजयपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जेठाराम पुत्र हीरा जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. इन्द्रादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सरोज पुत्री सुरजाराम पत्नी दलीप जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सुनीता पुत्री सुरजाराम पत्नी जसवंत जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सुमन पुत्री सुरजाराम पत्नी गौरीशंकर जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. कृष्णा पुत्री सुरजाराम पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. कविता पुत्री सुरजाराम पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. शारदा पुत्री सुरजाराम पत्नी रमेश जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. शिशपाल पुत्र श्योकोरी पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. सोहा पुत्री श्योकोरी पुत्री कालूराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. सुनीता पुत्री श्योकोरी पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. विधादेवी पत्नी स्व.रामप्रताप जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. रामजीलाल पुत्र स्व.रामप्रताप जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. मानीराम पुत्र स्व.रामप्रताप जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. शंकरलाल पुत्र स्व.रामप्रताप जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. महेन्द्र पुत्र स्व.रामप्रताप जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. सुमित्रा पुत्री रामप्रताप निवासी 15 एस.पी.डी. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
19. रामेश्वर पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी कर्णपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व निर्णय दिनांक 15.09.2020
द्वारा सहायक कलक्टर, हनुमानगढ़।
अनवान ''विजयपाल बनाम जेठाराम आदि'' प्र. सं. 128/2020
उपस्थितिः–

श्री रामकुमार कस्वॉ, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 20

निर्णय दिनांक 18-07-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या–1 विजयपाल ने रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 19 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि चक 15 ए.जी. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 196/375 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 197/75 मुरबा नम्बर 7 किला नम्बर 1 ता 25, पत्थर नम्बर 198/375 मुरबा नम्बर 8 किला नम्बर 11, 20, 21 कुल 6.957 हैक्टेयर भूमि है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 11 ता 15 एवं 16 ने अपना कृषि भूमि का खाता जरिये डिक्री दिनांक 21.11.2013 प्रकरण संख्या 124/2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ अलग कायम करवा लिया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या–1 जेठाराम को पत्थर नम्बर 196/375 किला नम्बर 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 197/375 किला नम्बर 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 पत्थर नम्बर 196/375 किला नम्बर 11, 20, 21 कुल 2.316 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज भूमि के शेष भूमि चक 15 ए.जी. के पत्थर नम्बर 197/375 (7) किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5/1/.164, 6/2/.215, 7/1/.164, 8, 9, 10 कुल 2.314 हैक्टेयर भूमि में वादी का कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चला आ रहा है व इसी अनुसार हक हिस्सा वादी का है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसलिये वादी उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी जो कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में कालूराम खातेदार का विधिक कानूनन वारिस है। उपरोक्त कृषि भूमि में कालूराम के कानूनन वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिनका पैतृक हक हिस्सा उक्त कृषि भूमि में निहित है, ने अपना हक हिस्सा परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में कर दिया है जिसके पश्चात् उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसलिये वादी वाद पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज भूमि के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। उक्त वाद के जरिये वादी ने अनुतोष चाहा कि प्रतिवादीगण का नाम कृषि भूमि चक 15 ए.जी. के पत्थर नम्बर 197/375 (7) किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5/1/.164, 6/2/0.215, 7/1/.164, 8, 9, 10 कुल 2.314 हैक्टेयर में से कलमजन कर वादी को उकत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस सम्मन जारी किये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 द्वारा जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी को मुताबिक अनुतोष 2.314 हैक्टेयर भूमि का काश्तकार घोषित करने के सम्बंध में कोई उज्र एतराज नहीं होना प्रकट किया। प्रतिवादी संख्या–19 ने जवाब प्रस्तुत किय अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर दिनांक 15.09.2020 को वाद पत्र वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 15 ए.जी. के पत्थर नम्बर 197/375 (7) किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5/1/.164, 6/2/0.215, 7/1/.164, 8, 9, 10 कुल 2.314 हैक्टेयर भूमि वादी के दादा कालूराम पुत्र हीराराम ने अपने जीवनकाल में ही इकरारनामा बैय बेचान कर उक्त भूमि पर आवासीय प्लाट काट दिये थे जिस पर अपीलांटस व अन्य व्यक्तियों के आवासीय मकान सन् 1996 से बने हुए हैं तथा उक्त 2.314 हैक्टेयर भूमि पर विधुत विभाग द्वारा बहुत समय पूर्व विधुत लाईनें बिछा कर विधुत कनैक्शन दिये गये हैं एवं जलदाय विभाग द्वारा पाईप लाईनें डालकर पानी के कनैक्शन दिये हुए हैं एवं ग्राम पंचायत मिर्जावाली मेर द्वारा उक्त भूमि पर बसी आबादी की गली आम में पक्की खड़वंजा सड़क का निर्माण किया हुआ है। अपीलांटस विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार थे परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 19 के साथ दुरभिसंधि कर अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा धारा 96 सीपीसी पर बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 ने चक 15 ए.जी. की 2.314 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश कर अंन्य रेस्पोडेंट से दुरभिसंधि से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जबकि अपीलांट व अन्य व्यक्ति पिछले 26 वर्षों से आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज है व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार हैं तथा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। दफा–5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दिनांक 03.01.2022 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 05.01.2022 को नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ इससे पूर्व नहीं था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. रेस्पोडेंट सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि चक 15 ए.जी. के पत्थर नम्बर 196/375 किला नम्बर 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 197/375 किला नम्बर 1 ता 25 पत्थर नम्बर 198/375 किला नम्बर 11 कुल 6.057 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 11 ता 15 एव 16 ने अपना खाता विभाजन जरिये डिक्री दिनांक 21.11.2013 को अलग करवा लिया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या–1 जेठाराम को पत्थर नम्बर 196/375 किला नम्बर 15, 16, 25 व पत्थर नम्बर 197/375 किला नम्बर 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 व पत्थर नम्बर 196/375 किला नम्बर 11, 20, 21 कुल 2.316 हैक्टेयर कृषि भूमि व जेठाराम के नाम दर्ज हो गई तथा शेष भूमि पत्थर नम्बर 197/375 मुरबा नं0 7 किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5/1/.164, 6/2/.215, 7/1/.164, 8, 9, 10 कुल 2.314 हैक्टेयर भूमि वादी विजयपाल के हक व हिस्सा की है तथा इसी का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाहा गया। अपीलांट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलांट के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। अपीलांट द्वारा अभिकथित इकरारनामें के आधार पर उक्त अपील लेकर आया है, लेकिन इकरारनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अपीलांट ने अपने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया कि उसने सुरजाराम से कौनसे पत्थर नम्बर के कौनसे किला नम्बर की भूमि किस अपीलांट द्वारा खरीद की गई। अपीलांट द्वारा अभिकथित इकरारनामें फर्जी इकरारनामें हैं। अभिकथित इकरारनामा के आधार पर अपील पोषणीय नहीं है तथा अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील खारिज होने योग्य है व दफा–5 मियाद अधिनियम के सम्बंध में रेस्पोडेंट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अपीलांट को शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 15.09.2020 की है जबकि अपीलांट ने उक्त अपील दिनांक 06.01.2022 को प्रस्तुत की है। अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान पटवारी हल्का से होने के कथन किये है। इस सम्बंध में पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट ने पटवारी हल्का के पास जाकर कोई जमाबंदी प्राप्त की हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अपंजीकृत व अपर्याप्त स्टाम्प पर तहरीर इकरारनामों के सम्बंध में कोई अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता मात्र सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में रजिस्टर्ड बैयनामा/दस्तावेज नहीं है। अपीलांट ने इकरारनामें जो कि अपंजीकृत व अपर्याप्त स्टाम्प पर तहरीर हैं, के आधार पर अपील हाजा प्रस्तुत की है। अपीलांट ने अपनी मीमो ऑफ अपील में प्रश्नगत भूमि जरिये अलग अलग इकरारनामें खरीद करने के कथन किये हैं। जबकि रेस्पोडेंट ने उक्त इकरारनामा निष्पादित होने के तथ्यों को इन्कार किया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत इकरारनामा के आधार पर कोई अनुतोष सिविल न्यायालय ही प्रदान कर सकती है। इस न्यायालय को ऐसे अपंजीकृत व अपर्याप्त स्टाम्प पर आधारित इकरारनामों के सम्बंध में सुनने की अधिकारिता नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.7.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18/7/22

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़